

5: चयनित अनुदानों की समीक्षा

इस अध्याय में 2014-15 से 2016-17 तक तीन वर्षों की अवधि को शामिल करके चयनित अनुदानों के विनियोग लेखे का विश्लेषण शामिल है। विश्लेषण बजट एवं व्यय, अव्ययित प्रावधानों, वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्ण, व्यपगत बचत, अवास्तविक बजट प्रक्षेपण, व्यय का समय विश्लेषण, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, निरंतर बचतों के गहन अध्ययन के अतिरिक्त आवश्यकता के बिना किए अनुपूरक प्रावधानों, अवास्तविक बजट बकाया उपयोग प्रमाणपत्र आदि पर टिप्पणियों को शामिल करता है। इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के अनुदानों का वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया गया था।

5.1 अनुदान सं. 15: इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

5.1.1 प्रस्तावना

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमईआईटीवाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता की लाइसेंसिंग के अतिरिक्त सभी मामले) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निरूपण, कार्यान्वयन तथा समीक्षा हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य नागरिकों का सशक्तिकरण करना, इलेक्ट्रानिक्स, आईटी एवं आईटीईएस उद्योगों का समावेशी एवं सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट शिकायत के वैश्विक मंचों में भारत की भूमिका को बढ़ाना, एक बहुआयामी पद्धति अपनाना जिसमें मानव संसाधनों का विकास, आर एवं डी तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना, डिजिटल सेवाओं के माध्यम से दक्षता को बढ़ाना तथा सुरक्षित साईबर स्थान को सुनिश्चित करना है।

5.1.2 बजट, व्यय एवं बचत

वर्ष 2014-17 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति का नीचे तालिका 5.1 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.1: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	3734.12	195.00	3452.61	130.49	281.51	64.51
2015-16	2611.85	147.16	2479.87	114.32	131.98	32.84
2016-17	3369.77	349.12	3310.60	330.78	59.17	18.34

स्रोत: शीर्ष-वार विनियोग लेखे

लोक लेखा समिति (10^{वीं} लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60^{वीं} प्रतिवेदन (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत त्रुटिपूर्ण बजट के साथ-साथ एक अनुदान अथवा विनियोग में निष्पादन में कमी का सूचक हैं। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक वर्ष हेतु अनुदान के एक खण्ड में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों के संबंध में विस्तृत नोट संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा समिति को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 तथा 2015-16 में अनुदान के राजस्व भाग के दत्तमत भाग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत थीं। यह निधियों की आवश्यकता के अधिक अनुमान का सूचक थी।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि वह सामयिक व्यय तथा निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नियमित आधार पर व्यय की पद्धति की समीक्षा कर रहा था जिससे कि बजट आबंटन तथा व्यय के बीच के अंतर को समाप्त किया जाए।

5.1.3 अभ्यर्पित न की गई बचत तथा उन्हें व्यपगत होने दिया

वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 56 प्रावधान करता है कि अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पुर्वानुमान होते ही वर्ष के अंतिम दिवस की प्रतीक्षा किए बिना, सरकार को अभ्यर्पण किया जाना है। बचतों को संभावित भविष्य आधिक्य हेतु रिजर्व में भी नहीं रखा जाना चाहिए।

वर्ष 2014-17 हेतु विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹361.84 करोड़ की बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था तथा उन्हें व्यपगत होने दिया जैसा तालिका 5.2 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.2: अभ्यर्पित न की गई बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष/भाग		बचत	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित न की गई बचत
2014-15	राजस्व भाग	281.51	162.84	31.03.2015	118.67
	पूंजीगत भाग	64.51	56.17		8.34
2015-16	राजस्व भाग	131.98	0	--	131.98
	पूंजीगत भाग	32.84	0	--	32.84
2016-17	राजस्व भाग	59.17	0	--	59.17
	पूंजीगत भाग	18.34	7.5	30.03.2017	10.84
कुल		588.35	226.51		361.84

2015-16 में, राजस्व तथा पूंजीगत भाग में पूर्ण बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था जबकि 2016-17 में राजस्व भाग में पूर्ण बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 2014-15 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹281.51 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹162.84 करोड़ (58 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया था। यह भी देखा गया था कि बचतों का वित्त वर्ष के अंतिम दिन को अभ्यर्पण किया गया था तथा पर्याप्त बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया गया था तथा उन्हें वित्त वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2017) कि प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए व्यय तथा प्रत्याशित व्यय की बार-बार समीक्षाओं के बावजूद बचतों का वित्त वर्ष की समाप्ति तक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था।

5.1.4 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विनिर्दिष्ट राशियों का विनियोजन करने को प्राधिकृत करती है। संसद बाद में अनुच्छेद 115 के अनुसार विनियोग अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 114 के अंतर्गत एक उद्देश्य हेतु पहले किए गए प्राधिकरण से अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदानों को भी प्राधिकृत करती है। व्ययों के प्रारम्भिक अनुमानों को तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्ष के दौरान संवितरण जिसका ध्यान रखना तथा उचित सावधानी रखना अपेक्षित है जिससे कि सभी

अपरिहार्य तथा निकट के व्ययों हेतु प्रावधान को वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अनुमानों में शामिल किया जा सके।

2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदानों का ब्योरा तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: बड़े अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
2014-15	राजस्व भाग (दत्तमत)	3734.10	0.02 (0)	3452.61	281.51
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	195.00	0	130.49	64.51
2015-16	राजस्व भाग (दत्तमत)	2482.85	129.00 (5.20)	2479.87	131.98
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	147.15	0.01 (0.01)	114.32	32.84
2016-17	राजस्व भाग (दत्तमत)	3089.71	280.06 (9.06)	3310.60	59.17
	पूंजीगत भाग (दत्तमत)	239.11	110.01 (46.01)	330.78	18.34

कोष्ठक में आंकड़े मूल अनुदान के प्रति अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय ने वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व दत्तमत भाग में ₹129.00 करोड़ की अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे परंतु वह पूर्ण अनुपूरक अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा था। बचत वास्तव में अनुपूरक अनुदान से अधिक थीं।

2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने ₹110.01 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए जो पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अंतर्गत मूल बजट का 46.01 प्रतिशत बना।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि आरई 2015-16 में एमईआईटीवाई हेतु बजट प्रावधान ₹2,700 करोड़ था जो तथ्य, कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जिसके बजट ने हमेशा ₹1,000 करोड़ को पार किया है का एमईआईटीवाई को संलग्न कार्यालय के रूप में अंतरण किया गया था, के बावजूद केवल ₹500 करोड़ तक बढ़ा था। इसलिए, सभी योजनाओं/गैर

योजनाओं हेतु बजट प्रावधान की अनुपातिक रूप से कटौती की गई थी। चूंकि एनआईसी तथा यूआईडीएआई को पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु न्यूनतम राशि प्रदान/आबंटित नहीं की गई थी इसलिए वित्त मंत्रालय को अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से उनका पूंजीगत प्रावधान बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने संसद से प्राप्त अनुपूरक अनुदानों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया था जो निधि आवश्यकतओं के अवास्तविक मूल्यांकन का सूचक था।

5.1.5 उप-शीर्ष के अंतर्गत संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि चार उप-शीर्षों /योजनाओं के अंतर्गत पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा उन्हें पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए मूल बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किया गया था, को व्यर्थ किया जैसा नीचे तालिका 5.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4: संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

वर्ष	उप/शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	बचत	कारण
		(₹ करोड़ में)		
2014-15	4859.02.004.18 इलेक्ट्रानिक्स /आईटी एचडब्ल्यू उत्पादन को बढ़ावा	10.00	10.00	व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर की गई कटौती के कारण
	2852.07.202.19-ईआरएनईटी इंडिया	0.10	0.10	-
	2852.07.202.71-मीडिया लैव एशिया	7.00	7.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती करने के कारण
	2852.07.202.82-एकीकृत नगर-क्षेत्र की स्थापना का सरलीकरण करना	0.10	0.10	-
2015-16	4859.02.004.18- इलेक्ट्रानिक्स/आईटीएचडब्ल्यू विनिर्माण को प्रोत्साहन	20.00	20.00	इलेक्ट्रानिक्स विकास निधि प्रबन्धक और बैंक के बीच अनुबंध के गैर-निष्पादन के कारण
2016-17	4859.02.004.18- इलेक्ट्रानिक्स/आईटीएचडब्ल्यू विनिर्माण को प्रोत्साहन	20.00	20.00	इलेक्ट्रानिक्स विकास निधि योजना में प्रस्तावित निवेश को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि योजनाएं प्रारम्भ होने में विफल रही अथवा पूर्ण प्रावधान के गैर-उपयोग के कारण प्रभावित हुई।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि मीडिया लैब एशिया (एमएलए) को 30 अप्रैल 2012 के बाद वित्तीय सहायता जारी करने का मामला वित्त मंत्रालय के विचाराधीन था तथा इस प्रकार, एमएलए के लिए किए गए प्रावधान अप्रयुक्त रहे। इलैक्ट्रॉनिक/आईटी एच डब्ल्यू विनिर्माण के प्रोत्साहन के संबंध में यह बताया गया है कि पूंजीगत अनुदानों के अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निधि के लिए चिन्हित बजट कानूनी औपचारिकताओं के कारण अप्रयुक्त रहा। तथापि, इस गैर उपयोग ने योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं किया था।

तथ्य यह रहता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इलैक्ट्रॉनिक/आईटी एचडब्ल्यू विनिर्माण के प्रोत्साहन के संबंध में समस्त बजटीय राशि का उपयोग न होना खराब बजट तथा समस्त प्रावधानों के निरन्तर उपयोग न करने से बचने के लिए प्रभावशाली उपचारी उपाय करने में विफलता का सूचक है।

5.1.6 निधियों का उपशीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

वर्ष 2016-17 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि निम्नलिखित उप-शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि बचत पुनर्विनियोग की गई राशि से अधिक थीं जैसा नीचे तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: निधियों का उप-शीर्ष में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उप शीर्ष में पुनर्विनियोग की गई राशि	वास्तविक व्यय	उप शीर्ष में पुनर्विनियोग के बाद अंतिम बचत
2016-17	2852.07.202.88- नियामक प्राधिकरण	ओ -148.00 एस - 0.00	11.87	138.47	21.40

5.1.7 उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत

2014-15 से 2014-17 के वर्षों के लिए विनियोग लेखाओं की पुनरीक्षा से पता चला कि पिछले तीन वर्षों के दौरान तीन उप शीर्षों के अंतर्गत निरन्तर बचत थीं जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना/ गतिविधि मद के संबंध में घटिया बजट बनाने या कार्य निष्पादन में कमी या दोनों का सूचक है, जिसके ब्यौरे नीचे तालिका 5.6 में दिए गए हैं।

तालिका 5.6: उपशीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचत

क्र. सं.	उप शीर्ष	वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान (ओ+एस)	वास्तविक व्यय	बचत	संस्वीकृत प्रावधान से बचत की प्रतिशतता	बचतों के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)				
1	3451.00.090.15 - इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2014-15	88.10	73.29	14.81	16.81	घरेलू यात्रा खर्च तथा अन्य स्थापना से संबंधित खर्चों के प्रति निधियों की कम आवश्यकता
		2015-16	97.04	75.69	21.35	22.00	मरम्मत तथा अनुरक्षण निर्माण कार्यो निष्पादन न होना तथा स्थापना/संबंधित खर्चों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
		2016-17	104.96	88.02	16.94	16.14	रिक्त पदों का न भरा जाना, तथा स्थापना संबंधी खर्चों की प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
2	2852.07.202.06 - एसटीक्यूसी	2014-15	92.00	76.05	15.95	17.34	रिक्त पदों का न भरा जाना, व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, स्थापना संबंधी खर्चों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता, एमओएफ द्वारा आरई स्तर पर कटौती करने तथा उपकरण का अधिप्रापण न होना
		2015-16	91.00	80.89	10.11	11.11	रिक्त पदों का न भरा जाना, तथा स्थापना संबंधी खर्चों की प्रति कम निधियों की आवश्यकता होना
3	4859.02.004.17 - एसटीक्यूसी	2014-15	56.00	18.47	37.53	67.02	मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु प्रस्तावों की

तथा अन्य परियोजनाओं के लिए मशीनरी तथा उपकरण						प्राप्ति न होने, साइबर सिक््योरिटी के अंतर्गत परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती किए जाने के कारण
	2015-16	64.00	37.03	26.97	42.14	साइबर सिक््योरिटी परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया में बिलंब, परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने, मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु उद्धरणों की प्राप्ति न होने के कारण
	2016-17	20.00	5.06	14.94	74.70	साइबर सिक््योरिटी परियोजनाओं हेतु निविदा प्रक्रिया में बिलंब, परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिये जाने, मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण हेतु उद्धरणों की प्राप्ति न होने के कारण

निरंतर बचत 11.11 प्रतिशत से 74.70 प्रतिशत तक की थी जो निधियों की आवश्यकता के अधिक अनुमान तथा निरन्तर बचतों से बचने के लिए प्रभावशाली उपचारी उपाय करने में विफलता का सूचक है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दो उप-शीर्षों 3451.00.090.15 तथा 2852.07.202.06 के अंतर्गत क्रमशः एमईआईटीवाई सचिवालय तथा मानकीकरण जांच तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) के संबंध में वेतन तथा स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु व्यय प्रावधान किए गए थे। स्थापना प्रावधानों के अंतर्गत बचत सामान्यतः रिक्त पदों के न भरे जाने, मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्यों का निष्पादन न होने, एलटीसी, चिकित्सा हेतु पर्याप्त बिलों की प्राप्ति न होना तथा कम यात्रा खर्च होने के कारण होती हैं।

उप-शीर्ष 4859.02.004.17 के संबंध में, एमईआईटीवाई ने सूचित किया कि बचत पिछले तीन वर्षों के दौरान दो मुख्य साइबर सिक््योरिटी इनीशिएटिव अर्थात् एनसीसीसी तथा बोटनेट क्लीनिंग तथा मालवेयर एनेलासिस सेंटर की अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई थीं।

उत्तर व्यय के अनुमान तैयार करने में अधिक सचेतना की आवश्यकता को दर्शाता है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि निधियों की आवश्यकता को प्रस्तावित करते समय व्यय को प्रभावित करने वाले सभी घटकों पर उचित प्रकार से ध्यान दिया गया है।

5.1.8 निधियों की उपयोगिता

(i) लंबित उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)

जीएफआर का नियम 212 (1), 2005 निर्धारित करता है कि किसी संस्थान या संगठन को गैर-आवर्ती अनुदान के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था, सहायता-अनुदान के स्वीकृति के आदेश पर जोर दिया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदान के मामले में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अनुदान के संबंध में यूसी प्रस्तुत किये जाने के बाद ही अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत राशि जारी करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के 12 महीनों के भीतर यूसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां निर्धारित समय के भीतर अनुदानकर्ता से ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया जाता है, मंत्रालय या विभाग किसी भी भविष्य अनुदान, सब्सिडी या सरकार से अन्य प्रकार के वित्तीय सहायता से ऐसी संस्था या संगठन को काली-सूची में डालने को स्वतंत्र होगा।

27 जुलाई 2017 तक वर्ष-वार लंबित यूसी की स्थिति तालिका-5.7 में दी गयी है:

तालिका 5.7: वर्ष-वार लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र

अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	बकाया		प्राप्त यूसी		बकाया यूसी	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
2002-03 से						
2009-10	2963	4456.63	2922	4355.34	41	101.29
2010-11	516	2212.08	510	2211.22	6	0.86
2011-12	497	1215.37	488	1208.43	9	6.94
2012-13	430	966.83	415	904.83	15	62.00
2013-14	413	1192.81	397	1159.27	16	33.54
2014-15	591	1847.46	552	1782.96	39	64.50
2015-16	504	1569.80	364	1093.13	140	476.67
कुल	5914	13460.98	5648	12715.18	266	745.80

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 27 जुलाई 2017 तक कुल ₹745.80 करोड़ के 266 यूसी बकाया थे जो वर्ष 2002-03 से 2015-16 तक संस्वीकृति के वर्ष से संबंधित हैं। इसमें से, ₹644.51 करोड़ की राशि (86.42 प्रतिशत) के 225 यूसी (84.59 प्रतिशत) 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि से संबंधित थे।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि वि.व. 2015-16 के दौरान जारी किए गए अनुदानों के संबंध में यूसी को 01 अप्रैल 2017 (वि.व. 2017-18) से लंबित माना जाएगा। अतः एमईआईटीवाई ने संगठनों को जिसके संबंध में कोई एकल यूसी लंबित नहीं था, अनुदान जारी करके किसी भी जीएफआर प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया था। जहां तक अनुदान के उपयोग का संबंध है, यह बताया गया है कि एमईआईटीवाई में परियोजना समीक्षा एवं स्थायी समूह का गठन किया गया है, जो समय-समय पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन, निधियों का उपयोग, लक्ष्य की अनुपलब्धता, यदि कोई हो, आदि की समीक्षा हेतु बैठक करते हैं तथा अनुशंसा करते हैं कि किस संगठन को अनुदान के आगे किस्त जारी किये जाएंगे और कितनी की जाएगी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 2015-16 के दौरान जारी अनुदानों के संबंध में यूसी जुलाई 2017 में लंबित यूसी पर सूचना प्रस्तुत करने के समय पहले ही देय हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्षों से संबंधित ₹269.13 करोड़ के संगत धन मूल्य सहित 126 यूसी भी लंबित थे।

यूसी की प्राप्ति ही यह साक्ष्य देने हेतु एकमात्र तंत्र है कि निधियों का उपयोग प्रत्याशित उद्देश्य हेतु किया गया है। मंत्रालय को अनुदेयी निकायों द्वारा यूसी के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित करना चाहिए।

5.1.9 रोकड़ प्रबंधन प्रणाली

संशोधित रोकड़ प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित उद्देश्यों¹ को पूरा करने की मांग करती है:

- i. वित्त वर्ष मुख्यतः अग्रिम निर्गमों और कॉर्पस निधि में अंतरणों को शामिल करते हुए मदों से संबंधित बजटीकृत व्यय में अधिक समानता प्राप्त करना;
- ii. अंतिम तिमाही मुख्य रूप में वित्त वर्ष के अंतिम माह के दौरान व्यय के प्रवाह को कम करना;
- iii. निधियों को रखे जाने की प्रवृत्ति को कम करना;
- iv. व्यय पैटर्न को प्रभावी रूप से मॉनीटर करना;
- v. केन्द्र सरकार के सूचक बाजार उधार कैलेंडर की बेहतर योजना बनाना;

मासिक व्यय योजना (एमईपी) त्रैमासिक व्यय आबंटनों (क्यूईए) का आधार बनाते हैं। विभाग/मंत्रालय त्रैमासिक व्यय आबंटन (जोकि मासिक व्यय योजना के अंतर्गत प्रावधानों के कुल के बराबर होगा) में व्यय को नियमित करता है।

तालिका 5.8 वर्ष 2016-17 के लिए क्यूईए के प्रति वास्तविक व्यय की स्थिति प्रदान करती है।

तालिका 5.8: त्रैमासिक व्यय आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तिमाही	त्रैमासिक व्यय आबंटन (योजना)	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	त्रैमासिक व्यय आबंटन (गैर-योजनागत)	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य(+)
2016-17	पहली	733.36	1064.37	331.01	34.26	26.94	-7.32
	दूसरी	1098.62	733.18	-365.44	38.17	28.82	-9.35
	तीसरी	664.60	882.05	217.45	26.86	32.41	5.55
	चौथी	703.42	848.56	145.14	29.53	22.12	7.41
	कुल	3200.00	3528.16	328.16	128.82	110.29	-18.53

स्रोत: 2016-17 के लिए डीडीजी और पीआर पीएओ, एमईआईटीवाई कार्यालय द्वारा तैयार अनुमानों और व्यय के त्रैमासिक विवरण

¹ वित्त मंत्रालय ओएम सं. एफ सं. 21 (I)-बी (पीडी)/2014 दिनांक 22 जुलाई 2015

तालिका दर्शाती है कि सभी तिमाहियों में क्यूईए योजना के साथ व्यय संगत नहीं है जोकि त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण एवं प्रबंधन दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि दर्शाया गया क्यूईपी डीडीजी 2016-17 के अनुसार है। हालांकि, व्यय की सीमा पर निर्भर करते हुए प्रत्येक तिमाही के अंत तक क्यूईपी को ध्यान में रखते हुए इन्हे संशोधित/बदलाव किया जाता है। अतः संशोधित/बदलाव किए गए क्यूईपी को ध्यान में रखते हुए इस बात का दावा करना गलत होगा कि त्रैमासिक व्यय लक्ष्य और प्राप्ति में विसंगति थी।

स्वीकृति संशोधित क्यूईपी तथा उसके संशोधन के आधार को प्रस्तुत न किए जाने के कारण उत्तर को सत्यापित नहीं किया जा सकता।

5.1.10 रिक्त पदों के लिए बजट प्रावधान

बजट परिपत्रों 2014-15 से 2016-17 के अनुसार, “पदों के लिए स्थापना बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा, जोकि एक वर्ष या अधिक के लिए रिक्त पड़े हुए हैं। अन्यथा, रिक्त पदों के लिए प्रावधान करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इन रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण अंतिम बचतों की संभावनाओं से बचा जा सके।”

विनियोग लेखे 2014-15 की संवीक्षा के दौरान ₹12.40 करोड़ तथा ₹12.46 करोड़ की बचत क्रमशः उप-शीर्ष 3451.00.090.15 (डीईआईटीवाई) तथा 2852.07.202.06 (एसटीक्यूसी) के अंतर्गत पाई गई थीं। बचतों का एक कारण रिक्त पदों को न भरना था। वर्ष 2013-14 हेतु इन शीर्षों के अंतर्गत बचतों के लिए कुछ कारण भी प्रस्तुत किए गए थे।

यह भी आगे पाया गया था कि 2015-16 के दौरान रिक्त पदों को न भरे जाने और कम व्यय के कारण एसटीक्यूसी (एचओए 2852.07.202.06) द्वारा ₹13.96 करोड़ की बचत सूचित की गई थीं। पुनः 2016-17 में, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण नियामक अधिकारियों (एचओए 2852.07.202.88) द्वारा ₹21.40 करोड़ की बचत सूचित की गई थीं।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि नियामक प्राधिकारियों अर्थात् एसटीक्यूसी, साइबर सुरक्षा (सीईआरटी-इन एवं कैट समेत) और केवल सीसीए से संबंधित बचत हुई थीं और एमईआईटीवाई सचिवालय से संबंधित कोई

बचत नहीं हुई थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि एक वर्ष से अधिक के लिए रिक्त हुए पदों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, कम अवधि के लिए रिक्त पड़े हुए पदों से संबंधित बजट प्रावधान किए गए थे और नव सृजित पदों के लिए भी भरा जाना था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों हेतु रिक्त पदों के लिए प्रावधानों से निरन्तर बचत अप्रयुक्त बजट प्रबंधन की सूचक है तथा यह बजट परिपत्र के उल्लंघन में है।

5.2 अनुदान सं.-25-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

5.2.1 प्रस्तावना

पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् ग्रामीण पेय जल हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) {एसबीएम (जी)²} की समग्र नीति, योजना, निधीयन और समन्वय के नोडल मंत्रालय है।

5.2.2 बजट, व्यय तथा बचत

वर्ष 2014-17 के दौरान बजट वास्तविक संवितरण और अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति का विवरण तालिका 5.9 में दिया गया है:

तालिका 5.9: बजट, बचत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	15377.50	0.00	12201.46	0.00	3176.04	0.00
2015-16	14330.89	0.00	13481.18	0.00	849.71	0.00
2016-17	26509.71	0.00	26475.66	0.00	34.05	0.00

² पूर्व में यह कार्यक्रम निर्मल भारत अभियान कहलाया गया था।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान ₹15,377.50 करोड़ के संस्वीकृत प्रावधान का 20.65 प्रतिशत गठित करने वाली ₹3,176.04 करोड़ की बचत थीं। तथापि, बचतों की प्रमात्रा 2015-16 में ₹849.71 करोड़ से 2016-17 में ₹34.05 करोड़ तक कम हुई।

5.2.3 अवास्तविक बजटीय अनुमानों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान

मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुपूरक अनुदानों की प्राप्ति की थी जिसका विवरण नीचे तालिका 5.10 में दिया गया है:

तालिका 5.10: बड़े अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक आवंटन	अनुपूरक आवंटन	कुल आवंटन	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
2014-15	15266.85	110.65 (0.72)	15377.50	12201.46	-3176.04
2015-16	6243.87	8087.02 (129.52)	14330.89	13481.18	-849.71
2016-17	22509.70	4000.01 (17.77)	26509.71	26475.66	-34.05

कोष्ठक में आंकड़े मूल अनुदान के संबंध में अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2014-15 में, मंत्रालय ने सौर ऊर्जा आधारित दोहरा पम्प पाइप जल आपूर्ति योजना के संस्थापन के लिए ₹110.65 करोड़ (0.72 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था। हालांकि, राज्यों के पास अव्ययित शेष और संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कमी के कारण प्राप्त अतिरिक्त अनुदान को अभ्यर्पित किया गया था।

2015-16 में, मंत्रालय ने मुख्यतः कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण के कारण अनुपूरक प्रावधान के रूप में ₹8,087.02 करोड़ (129.52 प्रतिशत) प्राप्त किया था। हालांकि, ₹8,087.02 करोड़ के अनुपूरक अनुदानों में से ₹849.71 करोड़ अप्रयुक्त पड़े हुए थे।

2016-17 में, ₹4,000.01 करोड़ के अनुपूरक अनुदान, मूल अनुदान का 17.17 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को अंतरण हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए थे।

2015-16 में बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे और वास्तविक बजटीय अनुमानों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-बजट बैठक करने के तंत्र का वांछित प्रभाव नहीं था।

5.2.4 उप-शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

पिछले तीन वर्षों हेतु लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने निम्नलिखित उप-शीर्ष, के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के लिए बड़े अनुपूरक प्रावधानों को प्राप्त किया था।

तालिका 5.11: अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
2015-16	3601.02.269.02-स्वच्छ भारत अभियान	1979.00	4032.40	4391.81	1619.59 (40.16)
2015-16	3601.02.789.19- मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	797.00	1387.00	1469.51	714.49 (51.51)
2015-16	3601.02.796.19- मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता-स्वच्छता सेवाएं	362.00	631.00	673.08	319.92 (50.70)
2015-16	3602.02.269.02- स्वच्छ भारत अभियान	2.00	4.80	4.40	2.40 (50.00)
2016-17	2215.01.105.23- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	255.00	2.00	215.13	41.87 (2093.50)

कोष्ठक में आंकड़ों ने अनुपूरक प्रावधान के संबंध में बचतों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

जबकि मंत्रालय ने बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी फिर भी उन्होंने उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। मुख्य अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग न किए जाने के कारण राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की प्राप्ति न होना तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता बताए गए थे।

5.2.5 संपूर्ण प्रावधान की बचत

पिछले तीन वर्षों के दौरान, चार उप-शीर्षों में संसद द्वारा प्राधिकृत ₹7.72 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया था। संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य को दर्शाती हैं कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के पश्चात् अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। विवरण तालिका 5.12 में दिए गए हैं।

तालिका 5.12: अव्ययित रहे संपूर्ण प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत
2014-15	3602.02.264.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1.02	1.02
2015-16	3602.02.264.01 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2.04	2.04
	3602.02.789.10 जल आपूर्ति-ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	0.66	0.66
2016-17	3602.02.269.03 मल-व्यवस्था एवं स्वच्छता सेवाएं- स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	4.00	4.00
	कुल	7.72	7.72

5.2.6 ₹10 करोड़ (उप-शीर्ष स्तर) से अधिक बचत

पिछले तीन वर्षों की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों का बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा था और अन्य शीर्षों को अभ्यर्पित/पुनर्विनियोग किया गया था जोकि उस उद्देश्य को निष्फल बनाते हैं जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे। ₹10 करोड़ और अधिक या बजट प्रावधानों के 25 प्रतिशत से अधिक की बचतों के उदाहरण नीचे तालिका 5.13 में दी गयी हैं। मंत्रालय ने बचतों को पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति को आरोपित किया।

तालिका 5.13: अवास्तविक बजट

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
2014-15	2215.01.102.17 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	93.82	46.26	47.56	50.69
	2215.02.105.21 निर्मल भारत अभियान	123.00	91.03	31.97	25.99
	3601.02.789.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	937.56	626.55	311.01	33.17
	3601.02.796.19 मल व्यवस्था एवं स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	425.80	284.79	141.01	33.12
2015-16	3601.02.269.02- स्वच्छ भारत अभियान	6011.40	4391.81	1619.59	26.94
	3601.02.789.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	2184.00	1469.51	714.49	32.71

वर्ष	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
	3601.02.796.19 मल व्यवस्था और स्वच्छता- स्वच्छता सेवाएं	993.00	673.08	319.92	32.22
2016-17	2215.01.102.19 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	81.51	48.34	33.17	40.69

5.2.7 बचतों का अभ्यर्पण

जीएफआर 2005 का नियम 56 इस बात पर बल देता है कि अनुदान या विनियोग में प्रावधान जिन्हें सफलता से उपयुक्त नहीं किया गया है उन्हें वर्ष के अंत की प्रतीक्षा किए बिना देखते ही शीघ्रतिशीघ्र सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। संभावित भविष्य आधिक्यों के लिए आरक्षण में कोई बचत नहीं रखी जानी चाहिए।

इन प्रावधानों के उल्लंघन में, बचत न तो अभ्यर्पित की गई थी या फिर इनको वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया था जैसाकि नीचे तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.14: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि
		संबंधित वर्ष की 31 मार्च को	प्रतिशतता	
2014-15	3176.04	3162.37	99.57	13.67
2015-16	849.71	849.10	99.93	0.61
2016-17	34.05	6.95	20.41	27.10

5.3 अनुदान सं.61: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

5.3.1 प्रस्तावना

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्र स्तर पर नोडल मंत्रालय है।

मंत्रालय काम में लाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा, लाइटिंग, खाना पकाने और चालन शक्ति, शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग में नवीकरणीय शक्ति के उपयोग समेत विस्तृत स्पेक्ट्रम कार्यक्रमों का कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा।

इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास अनुसंधान संस्थान/केन्द्र-राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सहायक कार्यक्रम उदाहरण स्वरूप निवेश प्रोत्साहन, सूचना, शिक्षा एवं संचार (विज्ञापन और प्रचार) और अन्य कार्यालय व्यय समेत अंतरराष्ट्रीय सहायता से संबंधित आधुनिकीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना है।

5.3.2 बजट, व्यय एवं बचत

बजट प्रावधानों की समग्र स्थिति जिसमें पिछले तीन वर्षों 2014-17 की पूंजीगत एवं राजस्व प्रवृत्ति, वास्तविक संवितरण और बचत हैं उनका विवरण नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है:-

तालिका 5.15: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	2762.39	295.00	2223.10	295.00	539.29	0.00
2015-16	4208.24	95.01	4150.26	94.52	57.98	0.49
2016-17	9882.81	115.00	7643.52	110.63	2239.29	4.37

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान बड़े प्रावधान अनुदान के राजस्व भाग में अप्रयुक्त रहे। 2016-17 के दौरान ₹2,239.29 करोड़, जो संस्वीकृत प्रावधान का 22.66 प्रतिशत बना, राजस्व भाग में अव्ययित रहा। 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान बड़े अव्ययित प्रावधान ने मंत्रालय द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को दर्शाया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (सितंबर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में ले लिया गया था।

5.3.3 वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जीएफआर के प्रावधानों के विपरीत मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-17 के अंतिम दिन अपनी बचतों का अभ्यर्पण किया जैसा ब्यौरा नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है।

तालिका 5.16: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संस्वीकृत अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित न की गई बचत	अभ्यर्पण की तिथि	
2014-15	राजस्व	2762.39	2223.10	539.29	526.67	12.62	31.03.2015
	पूँजीगत	295.00	295.00	-	-	-	-
2015-16	राजस्व	4208.24	4150.26	57.98	47.78	10.20	31.03.2016
	पूँजीगत	95.01	94.52	0.49	0.24	00.25	31.03.2016
2016-17	राजस्व	9882.81	7643.52	2239.29	1115.11	1124.18	31.03.2017
	पूँजीगत	115.00	110.63	4.37	4.39	-	31.03.2017

वित्त वर्ष के केवल अंतिम दिन में जाकर ही बचतों का अभ्यर्पण मंत्रालय के त्रूटिपूर्ण बजट तथा सरकारी नियमावली के गैर-अनुपालन को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन के लिए संज्ञान में ले लिया गया है।

5.3.4 ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपने 60वें प्रतिवेदन (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत त्रूटिपूर्ण बजट के साथ साथ अनुदान अथवा विनियोग में निष्पादन की कमी की सूचक हैं। समिति ने, इसलिए, यह वांछित किया था कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के भाग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा विस्तृत टिप्पण समिति को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। समीक्षा अवधि की अनुदान के वर्ग में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतों का ब्यौरा नीचे तालिका 5.17 में दिया गया है:

तालिका 5.17: ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान का नाम एवं संख्या (राजस्व भाग)	बचत
2014-15	69 -एमएनआरई	539.29
2016-17	61- एमएनआरई	2239.29

संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम बड़े प्रावधानों के अप्रयुक्त रहने में हुआ।

5.3.5 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने 2014-17 की अवधि के दौरान अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी जैसा नीचे तालिका 5.18 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.18: मूल तथा अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल प्रावधान	अनुपूरक	मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	व्यय	बचत
2014-15	राजस्व	2439.39	323.00	13.24	2223.10	539.29
	पूंजीगत	95.00	200.00	210.53	295.00	-
2015-16	राजस्व	2708.21	1500.03	55.39	4150.26	57.98
	पूंजीगत	95.00	0.01	0.01	94.52	0.49
2016-17	राजस्व	9882.79	0.02	0	7643.52	2239.29
	पूंजीगत	100.00	15.00	15.00	110.63	4.37

मंत्रालय ने 2014-15 के दौरान राजस्व भाग के अंतर्गत ₹323.00 करोड़ की बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी जो मूल प्रावधान का 13.24 प्रतिशत बनी तथा पूर्ण अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहा जो निधियों की आवश्यकता के अवास्तविक अनुमान को दर्शाता है।

2015-16 के दौरान, मंत्रालय ने राजस्व वर्ग के अंतर्गत ₹1,500.03 करोड़ की बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया था जो मूल प्रावधान का 55.39 प्रतिशत बना।

शीर्ष-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पांच मामलों में, मंत्रालय ने बड़ी अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे जो मूल प्रावधान के 62.15 प्रतिशत से 1066.67 प्रतिशत के बीच थी जैसा नीचे तालिका 5.19 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.19: मूल तथा अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वस्तु शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक की प्रतिशतता
2014-15	2810.00.105.02	2.25	24.00	1066.67
	4810.00.190.01	40.00	200.00	500.00
2015-16	2810.00.101.01	1525.00	950.00	62.30
	2810.00.101.02	885.00	550.01	62.15
2016-17	4810.00.101.03	--	15.00	बिल्कुल मूल प्रावधान नहीं था।

यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आधार पर व्यय अनुमान तैयार नहीं किए थे। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में लिया (सितम्बर 2017)।

5.3.6 ₹ एक करोड़ से अधिक की बचत (उप-शीर्ष स्तर)

पिछले तीन वर्षों के लेखाओं की समीक्षा ने प्रकट किया कि प्रावधानों के बड़े भाग विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहे तथा उनका अभ्यर्पण/अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोग किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। बजट प्रावधानों की ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतों के उदाहरण अनुबंध 5.1 में दिए गए हैं। यह मंत्रालय की ओर से त्रुटिपूर्ण वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु संज्ञान में ले लिया गया था।

5.3.7 वित्त वर्षों के बिल्कुल अंत में पुनर्विनियोजन के अत्यधिक आदेश जारी करना

पीएसी (14वीं लोक सभा) ने जुलाई 2006 में अनुशंसा की कि मुख्य लेखा नियंत्रक तथा लेखा नियंत्रक के सहयोग से विभागों के वित्तीय सलाहकारों को बजट प्रारूपण प्रक्रिया में और अधिक विश्लेषणात्मक इनपुटों को लाकर तथा प्रत्येक कार्यक्रम के व्यय प्रोफाइल पर आधारित बजट की अधिकतम राशि के भीतर बेहतर कार्यक्रम/प्राथमिकता तथा आबंटन, परिणामों के निर्धारण तथा परियोजनाओं के वर्तमान स्तर के संबंध में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसे विश्लेषण में संसाधनों का अधिक वास्तविक एवं प्रभावी परिनियोजन को सुनिश्चित करने, अनुपूरक पर विश्वास को कम करने तथा बजट अनुमानों, अविवेकपूर्ण निरूपण निधियों के उपयोग, जहां बड़ी बचतों/अव्ययित प्रावधानों से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता परंतु कम किया जा सकता है, के महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण में सहायता करने की अभिकल्पना की गई थी।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 से संबंधित विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अधिकांश पुनर्विनियोजन आदेश संबंधित वित्त वर्षों के अंत में जाकर ही जारी किए गए थे जैसा नीचे तालिका 5.20 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.20: पुनर्विनियोजन के आदेश जारी करना

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी पुनर्विनियोजन आदेशों की कुल संख्या	वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी (जनवरी-मार्च)	अंतिम माह अर्थात् मार्च के दौरान जारी	अंतिम तिमाही में जारी आदेशों का प्रतिशत	जारी कुल आदेशों की तुलना में अंतिम माह में जारी का प्रतिशत
2014-15	12	6	4	50.00	33.33
2015-16	21	13	10	61.90	47.62
2016-17	29	20	14	68.97	48.28

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन का परिणाम उप-शीर्षों में बचतों में हुआ जैसा नीचे तालिका 5.21 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.21: वर्ष के अंत में पुनर्विनियोजन के कारण उप-शीर्ष स्तर में बचत

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अंतिम तिमाही में पुनर्विनियोजित राशि	अंत में अभ्यर्पित बचत
2014-15			
1.	2810.00.101.02-ओएफएफ ग्रिड/संवितरित तथा विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय विद्युत	13.46	51.50
2015-16			
2.	2810.00.102.02-सभी ग्रामीणों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा	6.15	28.33
2016-17			
3.	3451.00.090.14-सचिवालय-एमएनआरई	2.44	3.80
4.	2810.00.101.01-ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय विद्युत	185.32	548.02
5.	2810.00.104.04-अनुसंधान, विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	6.55	144.60

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया था। तथापि तथ्य है कि पुनर्विनियोजन आदेश वित्त वर्ष के अंत में जारी किए गए थे।

5.3.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

31 मार्च 2017 को वर्ष-वार बकाया यूसी की स्थिति नीचे तालिका 5.22 में दी गई है।

तालिका 5.22: वर्ष-वार बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	देय		प्राप्त यूसी		बकाया यूसी	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
2009-10 तक	29	6.08	0	0	29	6.08
2010-11	34	12.10	0	0	34	12.10
2011-12	43	30.15	0	0	43	30.15
2012-13	10	7.15	0	0	10	7.15
2013-14	26	32.31	0	0	26	32.31
2014-15	47	101.02	0	0	47	101.02
2015-16	996	1845.16	416	1600.55	580	244.61
कुल	1185	2033.97	416	1600.55	769	433.42

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2017 को वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक के कुल ₹433.42 करोड़ के 769 यूसी विभिन्न अनुदेयी संगठनों से लंबित थे। यूसी के अभाव में इसका पता नहीं लगाया जा सकता था कि प्राप्तकर्ताओं ने विशिष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों का उपयोग किया था।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2017) कि 31 अगस्त 2017 तक 551 उपयोग प्रमाण पत्र लंबित थे।

5.4 अनुदान सं.95: शहरी विकास मंत्रालय

5.4.1 प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय शहरी विकास के क्षेत्र में विस्तृत नीति तैयार करने तथा कार्यक्रमों की मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी है। शहरी विकास एक राज्य विषय है तथा भारत सरकार समन्वय तथा मॉनीटरिंग करने की भूमिका निभाती है जिसमें केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शहरी विकास हेतु सहायता शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 हेतु तीन अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 103 (शहरी विकास विभाग), अनुदान सं. 104 (लोक निर्माण कार्य) तथा अनुदान सं. 105 (स्टेशनरी एवं प्रीटिंग), 2015-16 हेतु तीन अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 104 (शहरी विकास विभाग), अनुदान सं. 105 (लोक निर्माण कार्य), अनुदान सं. 106 (स्टेशनरी एवं प्रीटिंग) तथा वर्ष 2016-17 हेतु एक अनुदान अर्थात् अनुदान सं. 95 (शहरी विकास मंत्रालय) तैयार की थी।

5.4.2 बजट, व्यय एवं बचत

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत भाग (प्रभारित तथा दत्तमत) के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की स्थिति नीचे तालिका 5.23 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.23: बजट, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		अव्ययित प्रावधान/बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2014-15	10660.62	9809.20	6018.02	7391.62	4642.60	2417.58
2015-16	12278.25	11068.89	8163.78	10588.76	4114.47	480.13
2016-17	18207.49	17324.08	15472.85	16824.76	2734.64	499.32

स्रोत: शीर्ष-वार विनियोग लेखे

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकेगा कि राजस्व भाग के अंतर्गत अव्ययित प्रावधान पूंजीगत भाग की तुलना में अधिक था। 2016-17 के दौरान 2015-16 की तुलना में अव्ययित प्रावधान राजस्व शीर्ष के संबंध में कम हुआ है तथा पूंजीगत शीर्ष के संबंध में सीमान्त रूप से बढ़ा है।

5.4.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

यदि बचत उस अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है जिसमें भुगतान को डेबिट किया जाना अपेक्षित है अथवा यदि “नई सेवा” अथवा “सेवा के नए साधन” पर व्यय का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है तो भुगतान को प्राधिकृत किए जाने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार आवश्यक अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाना है। वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु शहरी विकास मंत्रालय के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने राजस्व भाग (दत्तमत) के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए। तथापि, वह उसका प्रभावी रूप से प्रयोग करने में विफल थे। वित्त वर्ष के अंत में अव्ययित शेष अनुपूरक प्रावधान से अधिक था जैसा नीचे तालिका 5.24 में दिया गया है:

तालिका 5.24: राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत
2014-15	10425.25	170.04	10595.29	5954.79	4640.50
2015-16	9296.38	2898.43	12194.81	8084.10	4110.71
2016-17	15502.67	2621.05	18123.72	15395.49	2728.23

स्रोत: विनियोग लेखे से लिए गए आकड़े

इस प्रकार, मंत्रालय ने राजस्व (दत्तमत) भाग के अंतर्गत निरंतर अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए थे परंतु वह सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान का उपयोग करने में विफल रहा। बचत वास्तव में अनुपूरक अनुदानों से अधिक थी।

5.4.4 अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

पिछले तीन वर्षों के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण किया। वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, मंत्रालय ने ₹7,060.18 करोड़, ₹4,594.60 करोड़ तथा ₹3,233.96 करोड़ की कुल बचत में से क्रमशः ₹6,802.65 करोड़, ₹1,345.75 करोड़ तथा ₹108.56 करोड़ का अभ्यर्पण किया। इस प्रकार, ₹257.53 करोड़, ₹3,249.03 करोड़ तथा ₹3,125.40 करोड़ व्यपगत हुआ जैसा नीचे तालिका 5.25 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.25: अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बचत	अव्ययित प्रावधान के अभ्यर्पण की तिथि	अभ्यर्पित राशि	व्यपगत राशि	व्यपगत की प्रतिशतता
2014-15	7060.18	31.03.2015	6802.65	257.53	3.64
2015-16	4594.60	31.03.2016	1345.57	3249.03	70.71
2016-17	3233.96	31.03.2017	108.56	3125.40	96.64

स्रोत: शीर्ष-वार विनियोग लेखे

निधियों के अभ्यर्पण में विलम्ब के साथ साथ निधियों की पर्याप्त राशि को व्यपगत होने देना मंत्रालय की ओर से वित्तीय प्रबंधन में कमी का सूचक था तथा संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु हानिकारक था।

5.4.5 अवास्तविक बजट

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालयों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्यय हेतु अनुदेश जैसे अन्य संबंधित सघंटको को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करना अपेक्षित है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

(ए) मुख्य शीर्ष 2217-शहरी विकास के अंतर्गत किया गया प्रावधान पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान वास्तविक आवश्यकता से पर्याप्त रूप से अधिक था। इसका परिणाम इन वर्षों के दौरान क्रमशः 56.59 प्रतिशत 58.62 प्रतिशत तथा 69.92 प्रतिशत के अव्ययित प्रावधान में हुआ जैसा नीचे तालिका 5.26 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 5.26: पिछले तीन वर्षों हेतु मुख्य शीर्ष 2217 में निधियों की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	
			राशि	प्रतिशतता
2014-15	663.02	287.80	375.22	56.59
2015-16	624.99	258.59	366.40	58.62
2016-17	3522.50	1059.41	2463.09	69.92

स्रोत: शीर्ष-वार विनियोग लेखे

₹2,463.09 करोड़ की कुल बचतों में से 2016-17 में ₹2,300 करोड़ केवल उप-शीर्ष-2217.05.797.02 (राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण) के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा।

(बी) 'मुख्य शीर्ष-4058 स्टेशनरी एवं प्रीटिंग' के अंतर्गत किया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से अधिक था। आगे यह देखा गया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान इस शीर्ष से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा

पूर्ण राशि (₹एक करोड़) को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई थी।

तालिका 5.27: पिछले तीन वर्षों हेतु मुख्य शीर्ष 4058 में निधियों की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित शेष	कुल प्रावधान की प्रतिशतता के रूप में अव्ययित शेष
2014-15	1.15	0.02	1.13	98.26
2015-16	1.00*	0.00	1.00	100.00
2016-17	2.60	1.61	0.99	38.08

स्रोत: शीर्ष वार विनियोग लेखे

* मुख्य शीर्ष 4058 स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग को मूल निधि आबंटन ₹ 1.00 करोड़ था परंतु पूर्ण राशि को पुनर्विनियोजित किया गया था। इसलिए इस मुख्य शीर्ष से कोई व्यय नहीं किया गया था।

मुख्य शीर्ष 2217 तथा 4058 के अंतर्गत किए गए अधिक प्रावधान का अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था जो बजट में पर्याप्त सचेतना की कमी का सूचक है।

5.4.6 वर्गीकृत सार तथा नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका में दर्शाए गए व्यय का समाधान न होना

सहायता अनुदान पंजिका में विभिन्न अनुभागों द्वारा दर्ज व्यय तथा आहरण एवं संवितरण (डीडीओ) द्वारा दर्ज व्यय इसके वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा दर्ज व्यय से मेल खाना चाहिए। वर्ष 2016-17 हेतु अनुदान सं.95 से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि अभिलेखों के इन दो सेटों के बीच व्यय का मिलान करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी। न तो डीडीओ और न ही पीएओ ने वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज व्यय का मिलान किया था। व्यय नियंत्रण पंजिका/सहायता अनुदान पंजिका तथा वर्गीकृत सार की नमूना जांच ने वस्तु शीर्ष 31 तथा 35 के अंतर्गत निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया जैसा नीचे तालिका 5.28 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 5.28: व्यय नियंत्रण पंजिका तथा वर्गीकृत सार में अंतर

(₹ करोड़ में)

सहायता अनुदान वस्तु शीर्ष	वर्गीकृत सार के अनुसार व्यय	सहायता अनुदान पंजिका के अनुसार	अंतर
31	1151.78	775.00	376.78
35	10796.30	4264.73	6531.57

स्रोत: आकड़े वर्गीकृत सार 2016-17 तथा सहायता अनुदान पंजिका 2016-17 से लिए गए हैं।

5.4.7 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

संघ सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान की प्रभावकारिता तथा उपयोग को उपयोग प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 212 जारी अनुदानों की उपयोग प्रमाणपत्रों जिसे अनुदानग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जैसा प्रपत्र (जीएफआर 19 ए) में निर्धारित किया गया है, की प्रक्रिया के माध्यम से मानीटरिंग की अभिकल्पना करता है। अनुदानग्राहियों द्वारा यूसी को वित्त वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2016 तक जारी अनुदानों जिनके यूसी 31 मार्च 2017 तक देय थे के संबंध में ब्यौरे की शहरी विकास मंत्रालय से मांग की गई थी। मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से पता चला कि कुल ₹6,676.55 करोड़ के 422 यूसी 01 अप्रैल 2017 को लंबित थे। लंबित यूसी के अवधि-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

तालिका 5.29: उपयोग प्रमाण पत्र की समग्र बकाया स्थिति


वर्ष	अवधि	लंबित उपयोग प्रमाण पत्र	
		सं.	राशि (₹ करोड़ में)
1985-86 से 2005-06	10 वर्षों से अधिक	17	9.26
2006-07 से 2010-11	6 से 10 वर्षों के बीच	35	29.96
2011-12 से 2015-16	1 से 5 वर्षों के बीच	370	6637.33
कुल		422	6676.55

5.5 निष्कर्ष

वर्गीय स्तर तथा उप-शीर्ष स्तर पर बड़ी तथा निरंतर बचत, बचतों के गैर-अभ्यर्पण तथा अभ्यर्पण में विलम्ब, अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़े अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना, उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान, उप-शीर्ष स्तर पर प्रावधान का गैर-उपयोग, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, बकाया उपयोग प्रमाण पत्र आदि दर्शाते हैं कि संघ सरकार द्वारा अधिक सचेतना तथा जीएफआर एवं बजट निरूपण प्रक्रिया से संबंधित वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुपालन की आवश्यकता है।

नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवम्बर 2017



(ममता कुन्द्रा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 29 नवम्बर 2017



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

